B.Ed 2nd Year

2nd Paper

Gender School and Society

Unit – 1 Gender Key Concepts

(i) Gender, sex sexuality, patriarchy, masculinity and Feminism

(ii) Gender bias, gender roles and stereotyping and its consequences

(iii) Gender and other forms of inequality in relation with (caste, class, ethnicity, disability etc)

(iv) Female sex ratio and child sex ratio.

By; -

Dr. Sudeshna Verma

Assistant Professor

IASE Bilaspur (C.G.)

Gender :- लैटिन में इसे जीनस कहा जाता है जिसका अर्थ प्रजाति विशेष से है। व्याकरण में तीन लिंग प्रचलित है :–

1. स्त्रीलिंग – रमा, सीता स्त्री सूचक
2. पुल्लिंग – राम, मोहन पुरूष होने
3. नंपुसकलिंग – मिले जुले गुणों वाले **Trance gender** वस्तु लिंग का जीव विाान में निम्नलिखित अर्थ होता है।

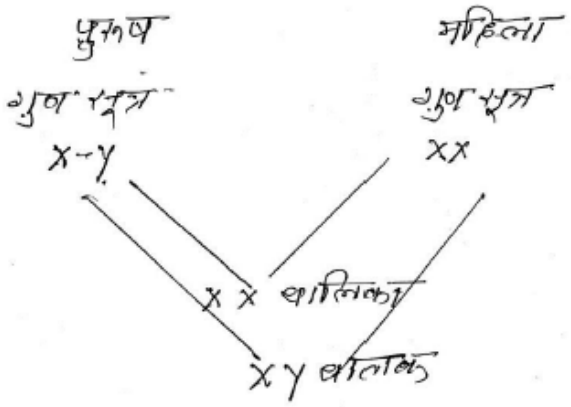

Sex – लैंगिकता :– जिसे काम भी कहा जाता है इससे तात्पर्य स्त्री–पुरूष के मध्य सम्बन्धों, आकर्षण इत्यादि की सहज प्रक्रिया है।

Sexuality – कामूकता :– मनुष्य के मूल संवर्गों में से एक है काम (जैसे–क्रोध, लोभ, मोह) कामुकता (Sexuality) शब्द से तात्पर्य कामजनित भावनाओं तथा क्रियाकलापों इस प्रकार लिंग के आधार पर ही लैंगिकता तथा कामुकता का अस्तित्व है। परस्पर लिंगों के प्रति सहज आकर्षण की बात हमारे शास्त्र से लेकर विज्ञान तक स्वीकार करते है। ऋग्वेद में यम–यमी संवाद, स्त्री पुरूष को अग्नि तथा घी माना गया है, विज्ञान इस आकर्षण को हर्मोन्स के कारण रूप में तलाशता है।

Patriarchy पितृसत्रात्मकता

पितृसत्रात्मकता शब्द दो शब्दों के योग से गना है :–

पितृ	–	सत्रात्मक
पिता	–	की सत्ता

पितृसत्रात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पिता की ओर से आर्थिक इत्यादि शक्तियों और सत्ता का हस्तान्तरण लिंग को आधार मानते हुए पुत्र या किसी पुरूष की ओर ही होता है भले ही वह अल्पवयस्क ही क्यों न हो।

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज पितृसत्रात्मकता समाज रहा है, परन्तु तथस्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्य था।

<u>पितृसत्ता की विशेषतायें :–</u>

1. पुरूषों की प्रधानता आधारित समानता।
2. पुत्र का महत्व।
3. पुरूषों के अधिकारों का विस्तृत होना।
4. शक्ति तथा अधिकारों का हस्तान्तरण पिता से पुत्र की ओर न कि पुत्री की ओर होना।
5. स्त्रियों को सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार सम्बंधी अधिकार प्राप्त न होना। (वर्तमान में कानून ने सम्पत्ति के अधिकार को दिया है।)
6. विवाह के पश्चात स्त्रियाँ पति और पुत्र अविवाहित बालिकाएँ पिता तथा भाई के संरक्षण में रहती है।
7. निर्णय शक्ति पुरूषों में निहित होता है।
8. पुरूषत्व एक अवधारणा के रूप में मनो वैज्ञानिक रूप से भी कार्य करता है जिससे व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है।
9. पुंरूषत्व का एक अर्थ कठोरता और साहस भी होता है।
10. स्वामित्व की भावना।

<u>Masculinity and Fernerieson</u>

<u>पुरूषत्व एवं नारीवाद</u>

नारीत्व से तात्पर्य नारी के गुणों से सम्पन्न होना है। इसके अन्तर्गत कोमलता, धैर्य, स्नेह इत्यादि गुणों के विकास को प्रोत्साहन देना है बालिकाओं में।

नारीत्व के विकास में उत्तरदायी कारक है :–

1. पारिवारिक पृष्ठभूमि

2. सामाजिक व्यवस्था
3. धार्मिक मान्यता
4. शिक्षा का प्रसार
5. परम्परायें एवं संस्कृति

इन कारकों को निम्न अभिकरणों द्वारा पूर्ण किया जाता है :–

1. परिवार
2. विद्यालय
3. समाज
4. राज्य
5. समुदाय
6. धार्मिक संस्थाएँ।

पुरूषत्व एवं नारीत्व के मध्य अवरोध की स्थापना आवश्यक है क्योंकि :–

1. लिंगभेद के कारण असमानता का जन्म हो रहा है।
2. सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में पिछडेपन की स्थिति व्याप्त हो रही है।
3. जैविक असंतुलन
4. सांस्कृतिक क्षरण
5. मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग न हो पाना।
6. लोक तांत्रिक मूल्यों का हनन।

इन समस्याओं से निपटने के लिए आपसी समझ हो विकसित करना होगा निम्न उपायों द्वारा :–

1. पितृसत्रात्मक व्यवस्था को चुनौति दे कर।
2. स्त्रियों के अधिकारों की हिमायत करके।
3. कानूनी प्रावधानों का सक्ती से पालन करा कर।
4. अतिवादिता से हटकर
5. परस्पर सम्मान एवं निर्भरता के सिद्धान्त द्वारा
6. स्त्री शिक्षा के प्रसार व नये प्रतिभावों द्वारा।

7. समाजिक कुरीतियों और उनके अन्धानुकरण के रोक से।
8. पाठसहगामी क्रियाओं में बालक बालिका में समानता द्वारा।
9. महिलाओं के आर्थिक हितों के सुरक्षा द्वारा।
10. सहशिक्षा के प्रोत्साहन से।

निष्कर्ष :–

पुरूषत्व तथा नारीत्व की अवधारणा सृष्टि निर्माणमें सहायक है परन्तु आपसी समझ का विकास न हो पाने से आज लिंगीय भेदभाव सोचनीय और चुनौतिपूर्ण अवस्था में पहुँच गये है। शक्ति के केन्द्रीकरण की अपेक्षा व्यक्ति को विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। जिससे स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। इसका प्रारम्भ घर की चार दीवारी से होना चाहिए और विस्तार विद्यालय से प्राप्त होकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध के रूप में होना चाहिए।

Gender bias, gender roles and stereotyping and its consequences

(लिंग पक्षपात एवं रूढ़िवाद के परिणाम)

लिंगीय विभेद से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के भाग्य व्याप्त लैंगिक असमानता तथा लिंग के आधार पर भेद करना जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में तथा पालन–पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में किया जाता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता रही है कि जीवित पुत्र का मुख्य देखने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कोई समय नही रहा जब व्यवहारिक रूप से समाज में असमानता व्याप्त न रहा हो।

अर्थात ''समानता वाला समाज मिथ्या य कल्पना ही हो सकता है व्यवहारिक नही'' (गुंजप सक्सेनस की कहानी)

लिंग भेद के आधार :–

1. प्राणीशास्त्रीय आधार
2. सामाजिक आधार
3. सांस्कृतिक आधार
4. जातिगत भेदभाव
5. आर्थिक भेदभाव

- बालक कुल का गौरव है
- पति परमेस्वर वाली धारणा
- मृतक्रिया में भाई को आणेलाना
- औरतों को दबाना
- भावनात्म रूप से कमजोर समझना
- महिलाओं की ..... केवल एक **Object** के रूप में
- बालिका केवल दूसरों के घर की शोभा बढ़ायेगी।
- वंश वृद्धि बढ़ाने का कारक
- दोयम दर्जा दिया जाना विभोद को दर्शाता है।

6. रूढ़िवादी विचार
7. शिक्षा की कमी
8. संघर्ष की कमी
9. भाषायी विभेद
10. रंग गत विभेद

लिंगीय विभेद के कारण बालिकाओं को भ्रूणावस्था में समाप्त कर दिया जाता है एवं जन्म के पश्चात् भी बालिकाओं को आजीवन लैंगिक विभेद का सामना करना पढ़ता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ तीस लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लिंगीय विभेद कितनी भ्यावह अवस्था में पहुँच चुका है।

- सम्पूर्ण विश्व की लगभग 3/5 भाग शिक्षा से वंचित बालिकाओं का है।
- उच्च शिक्षा तक पहुचने से पहले उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है।
- U.N.O. की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत जिम्बाम्बे, पापुआ, न्युगिनी, म्यांमर तथा इराक जैसे देशों से भी पिछड़ी स्थिति में है।
- सम्पूर्ण भारत में 1981 में 1000 पुरूषों पर 971 स्त्रियाँ तथा 1991 और 2001 में यह अनुपात 945 और 927 का था।

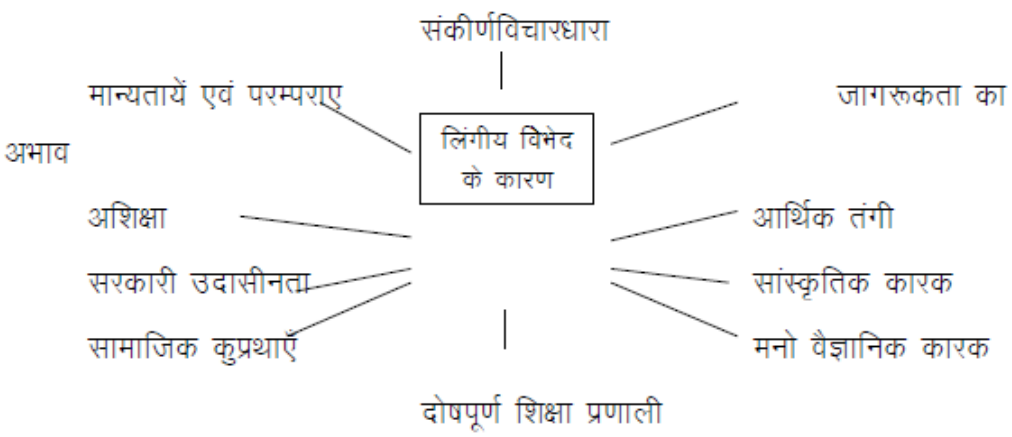

लिंग भेद के प्रस्तु कारण

लिंग भेद समाप्ति के उपाय

1. शिक्षा का प्रसार
2. जागरूकता
3. नवीन योजनाए
4. नये कानून
5. बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएँ
6. सुरक्षात्मक वातावरण
7. समाजिक कुल प्रथाओं को मिटाना / छोड़ना

उक्त उपायों द्वारा हम समाज में व्याप्त लिंग भेद के द्वारा बालिनकाओं के प्रति अन्याय पूर्ण व्यवहार को रोक सकते है।

परिणाम :– किसी भी प्रकार का विभेद मानवता के लिए खतरा है। मनुष्य की एकता की स्थापना में वर्णित सभी प्रकार के विभेद बाधक है। कोई राष्ट्र हो या सम्पूर्ण विश्व, उन्नति के लिए सभी को समदृष्टि से देखना व सम्मान देना आवश्यक है। तभी यह सत्य साबित होगा सबका साथ सब का विकास।

लिंगीय पहचान : भेदभाव और बद्धता

Gender Identity Difference and STEREOTYPES

बलक हो या आलिका इस धरा में दोनों का समान रूप से महत्व है लेकिन बालिकाओं को अपनी पृथक पहचान बनाने के लिए हमारी समाजिक व्यवस्था पर्याप्त अवसर ही नही देती है जिस कारण से वे बन्द पिंजरे के पक्षी जैसे छटपटाती रहती है और अन्ततः उनमें से बहुतों की उम्मीदें और आकांक्षाये दम तोड़ देती है। लिंगीय पहचान बनाने में बालिकाओं के समक्ष लिंगीय भेदभाव तथा रूढिढबद्धतायें आती है।

लिंगीय भेदभाव बालिकाओं के साथ प्रत्येक स्थल पर होते है जिसे निम्न प्रकार देखा जा सकता है :–

लिंगीय भेदभाव

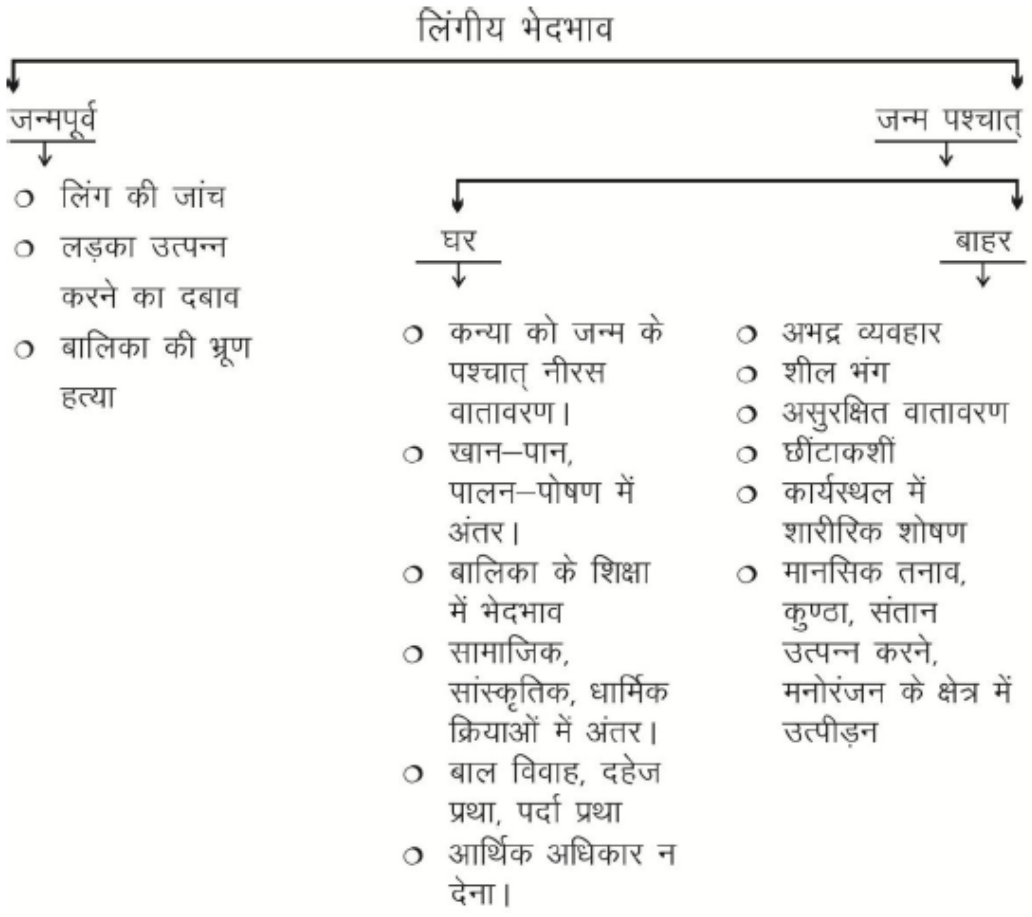

लिंगीय भेदभाव का क्षेत्र जब घर और बाहर दोनों ही स्थलों पर है तो जाहिर सी बात है कि माता–पिता, दादा–दादी से लेकर हमारे परिजन और बाह्य क्षेत्र में पास–पड़ोस, कार्यक्षेत्र, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलों पर कोई अनजान व्यक्ति तक हो सकता है और यह खान–पान, शिक्षा से लेकर गाली और गलत इरादे से छूना और देखना किसी भी रूप में हो सकता है। लिंगीय भेदभाव को हम निम्न प्रकार से रूढ़िबद्धता के रूप में भी देख व समझ सकते हैं।

रूढ़िबद्धता (STEREOTYPES)

रूढ़िबद्धता से तात्पर्य हमारे समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं से है जो वर्षों से चली आ रही है जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है, परन्तु उनका निर्वहन मात्र इसलिए किया जाता है कि वे वर्षों से चली आ रही है। इन परंपराओं और मान्यताओं से

व्यक्ति विशेष तथा समाज को किसी प्रकार का लाभ नहीं है, अपितु यदि इसे माना न जाए तो बालिकाओं को थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जा सकती है। लिंगीय रूढ़िबद्धता को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं, जैसे–

1. पुत्र जन्म पर बधाईयां देना, पुत्री जन्म पर खुश न होना।
2. पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता।
3. पूर्वजों के पिण्डदान हेतु पुत्र की ही प्रमुखता।
4. अंतिम संस्कार इत्यादि का सम्पादन पुत्र द्वारा ही होता है।
5. पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ायेगा, ऐसी धारणा पुत्री से वंश समाप्त।
6. आर्थिक अधिकारों और पैतृक संपत्ति का हस्तान्तरण पुत्री को न होकर सदैव पुत्र की ओर होता है।
7. कन्या को पराया धन मानना, अतः केवल विवाह की चिंता करना।
8. बालविवाह, दहेज जैसे कुप्रथा, पर्दा प्रथा।
9. घरेलू कार्यों में बालिकाओं को व्यस्त रखना।
10. स्त्री पर पुत्र उत्पत्ति हेतु दबाव डालना बिना वैज्ञानिक कारण जानें।

इस प्रकार ये तो हमारे समाज में लिंगीय रूढ़िबद्धता के कुछ उदाहरण है। प्रत्येक राज्य क्षेत्र में स्त्रियों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता और हमारी रूढ़ियों के कारण स्त्रियों के प्रति अमानवीय आचरण खुलेआम होता है। यदि किसी स्त्रियों को बच्चा न हो, तो उसे बांझ कहा जाता है, परन्तु यदि पुरूष में कमी हो, तो परिवार और समाज उसे ढंकने का प्रयास करता है। पुरूष स्त्री को पुत्र पैदा न करने, दहेज न लाने पर प्रताड़ित कर सकता है, यहां तक की कई बार छोड़ देता है। वहीं किसी स्त्री द्वारा संतानोत्पत्ति या साड़ी न लाने पर पति को छोड़ने जैसी कोई घटना सुनाई नहीं देती। पुरूष को पसंद नापसंद करने का अधिकार है स्त्री को उसे मानना ही आदर्श माना जाता है।

लिंगीय भेदभाव और रूढ़िबद्धता की समाप्ति के उपाय –

1. शिक्षा का व्यापक प्रचार–प्रसार।
2. बालिका व स्त्री शिक्षा पर बल।
3. वैज्ञानिकतापूर्ण दृष्टिकोण का विकास का रूढ़िवाद पर लगाम कसना।
4. सहशिक्षा के प्रावधान को बढ़ावा।
5. सुरक्षात्मक वातावरण निर्मित करना।
6. कानूनी प्रयासों का छृढ़ता से पालन करवाना।
7. रूढ़िवादिता को समाप्त करने हेतु सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन।
8 जनसंचार के अभिकरणों द्वारा इसके विरूद्ध प्रचार–प्रसार होना चाहिए।
9. समाज को सशक्त बनाकर।
10. औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरणों द्वारा।
11. नारी सशक्तिकरण द्वारा।

इस प्रकार भेदभावों को बढ़ाने वाली रूढ़िया हमारी संस्कृति, विचार तथा सामाजिक परंपरा में इस प्रकार से आत्मसात हो गयी है जिसे न मानने पर हमें सामाजिक बहिष्कार का भय सताने लगता है। कब तक इस सोच के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस दानव को ढोते रहेंगे, हमें मानवता समाप्त होने से पहले रूढ़िबद्धता पर रोक लगाना ही होगा और इस अन्याय को रोकना होगा।

Gender and other forms of inequality

In relation with (Caste, Class, ethnicity, disability etc.

लिंग की असमानता में जाति, वर्ग, जातियता, विकलांगता की भूमिका –

लिंग की असमानता के पीछे जाति वर्ग, जातियता, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक बहुत सी चुनौतीपूर्ण कारण हैं जो निम्न प्रकार है –

1. गरीबी

2. अशिक्षा – अशिक्षित परिवारों में बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।
3. सामाजिक कारण – दहेज, बालविवाह, दयनीय अवस्था।
4. धार्मिक कारण – पूर्वाग्रह से ग्रसित।
5. सुरक्षात्मक कारण – निरहि स्थिति
6. जागरूकता का अभाव – अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता
7. राजनैतिक दबाव – अभी भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है।
8. दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था –
9. परंपराएं एवं मान्यताएं – पूर्व में चर्चा की गई है।
10. सांस्कृतिक बाधाएं
11. रूढ़िवादिता
12. संतानों की अधिकता – आर्थिक कठिनाई
13. स्त्रियों का मनोविज्ञान – स्त्रियां अपने को पुरूष की तुलना में कमजोर समझने लगती हैं।
14. संसाधनों का अभाव – साधनों की कमी।

जाति (CASTE)

जाति की व्यवस्था जन्मजात होती है। कई जातियां हमारे समाज में खुले विचारों वाले होने के कारण बदलाव को जल्दी ग्रहण करते हैं और इसलिए उन्होंने बालक के समान बालिका शिक्षा के महत्व को भी समझा, जैसे– दक्षिण भाषी, बंगला भाषी, महाराष्ट्र व स्वराष्ट्र वासी जातियों में बालकों के समान बालिकाओं के भी शिक्षा एवं विकास को महत्व दिया जाता है लेकिन हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में आज भी बेटियों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है एवं चिंतनीय अवस्था वर्तमान में निर्मित है।

वर्ग (CLASS)

लैंगिक समानता में 0 आदि वर्गों में अधिक खुलापन मिलता है। उनमें स्त्री एवं बालिका को कई मामलों में ज्यादा अधिकार प्राप्त है, जैसे आदिवासियों में वर चुनने का अधिकार, समान रूप से परिश्रम करने के कारण सम्मान प्राप्त है। जबकि सामान्य व उच्च एवं संपन्न वर्गों में स्त्री को केवल संतान उत्पन्न करने व घर की शोभा, बच्चों के पालन–पोषण एवं संस्कार देने के लिए आदर्श के रूप में चाहा जाता है। कुछ जातियां ऐसी है जो महिलाओं को केवल विलास और भोग मात्र की

सामग्री के रूप में देखते हैं और उन्हें हीन व हेय दृष्टि से देखते हैं। वहीं जो जातियां मातृप्रधान है वहां स्त्री की छवि सशक्त मानी जाती है।

निष्कर्ष –

लिंग की शिक्षा में जाति, वर्ग, जातियता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सामाजिक ताने–बाने में जातियों का प्रभाव अत्यधिक है।

Thank
you